भक्त दर्शन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय

जयहरीखाल (गढ़वाल)

श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध

एवं

NAAC से 'B' ग्रेड प्राप्त राजकीय महाविद्यालय

प्रवेश-निर्देशिका 2022-23

ई-मेल : principal_lansdowne@rediffmail.com
वेबसाइट : www.bdgpgc.com

मूल्य- Rs. 60/- मात्र

छात्र–छात्राओं के लिए अनुपालनीय निर्देश एवं नियम

1. समय–समय पर दी जाने वाली सूचनाओं से अवगत होने के लिए छात्र–छात्राओं को सूचनापट पर अंकित सूचनाएँ ध्यान से पढ़नी चाहिए।
2. छात्र–छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अनुशासित रहते हुए अध्ययनशील रहेंगे और महाविद्यालय का स्तर एवं गरिमा बढ़ाने में हर समय सहयोग देंगे।
3. छात्र / छात्राओं को अपने विभिन्न शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक क्रियाकलापों के लिए सम्बन्धित प्रभारी प्राध्यापकों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।
4. प्रत्येक छात्र / छात्रा को प्रवेश लेने के तुरन्त बाद मुख्य शास्ता (चीफ प्रॉक्टर) से सम्पर्क कर अपना परिचय पत्र (आइडेंटिटी कार्ड) प्राप्त कर लेना चाहिए और उसे हमेशा अपने पास रखना चाहिए। किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर परिचय पत्र दिखाना आवश्यक है।
5. महाविद्यालय कार्यालय में जो भी शुल्क जमा किया जाये उसकी रसीद प्राप्त करना आवश्यक है अन्यथा किसी भी प्रकार की क्षति के लिए छात्र / छात्रा स्वयं जिम्मेदार होंगे।
6. प्रभावी हो जाने के उपरान्त महाविद्यालय समय–सारणी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन सम्भव नहीं होगा।
7. शुल्क जमा करने के पश्चात् सम्बन्धित विषयों के प्राध्यापकों से व्याख्यान पंजिका में अपना नाम लिखाना छात्र / छात्रा की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।
8. महाविद्यालय के किसी अधिकारी / कर्मचारी के द्वारा गैर इरादतन की गई किसी त्रुटि का अनुचित लाभ उठाने हेतु कोई वाद अदालत में दायर नहीं किया जा सकेगा।
9. गत वर्ष की परीक्षा में अनुचित सामग्री प्रयोग करते पकड़े गये अभ्यर्थी प्रवेश हेतु आवेदन न करें।
10. **महाविद्यालय परिसर में रैगिंग जैसे आपराधिक कृत्य से सदैव बचे रहें।**
11. विद्यार्थी का प्रत्येक विषय में 75 प्रतिशत / बी.एड. में 80 प्रतिशत उपस्थित अनिवार्य है।

महाविद्यालय परिसर में मादक द्रव्यों (बीड़ी, सिगरेट, गुटखा शराब, ड्रग्स आदि) का सेवन करना दण्डनीय अपराध है।

अनुक्रमणिका

1.	परिचय	2
2.	पुरोवाक्	3
3.	श्री भक्त दर्शन का संक्षिप्त परिचय	4
2.	प्रवेशार्थी निर्देशिका	6
3.	दूरस्थ शिक्षा	7
4.	अनुशासन	8
5.	अन्य सुविधाएँ	9
6.	शिक्षणेतर एवं पाठ्यसहगामी क्रियाकलाप	11
7.	प्रवेश–प्रक्रिया	12
8.	शुल्क विवरण	16
9.	महाविद्यालय परिवार	17
10.	रैगिंग संबंधी शपथ–पत्र	19

भक्त दर्शन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जयहरीखाल (गढ़वाल)

परिचय (Introduction)

'शिक्षा से ही व्यक्ति की आध्यात्मिक एवं भौतिक प्रगति तथा समाज का अभ्युदय हो सकता है' के विचार एवं इस 'ग्रामीण पर्वतीय क्षेत्र में उच्च शिक्षा के प्रसार' के संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 17 अगस्त, 1972 ई. को राजकीय महाविद्यालय जयहरीखाल की स्थापना हुई। प्रारम्भ में इसका संचालन जयहरीखाल में स्थित राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज के परिसर में होता रहा। मई, 2004 ई. में महाविद्यालय को स्यालगाँव में, स्थानीय जनता के द्वारा दान की गयी 3.581 हेक्टेयर (178.75 नाली) भूमि पर निर्मित अपने भवन में, स्थानान्तरित कर दिया गया। 1972 ई. में प्रारम्भ की गई ज्ञान–यात्रा में महाविद्यालय ने कई सोपान देखे हैं। वर्ष 1975 ई. में इसे हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से अस्थायी तथा 1 अगस्त, 1984 ई. से स्थायी सम्बद्धता प्राप्त हुई। महाविद्यालय को 19 सितम्बर, 1983 ई. को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यू.जी.सी. अधिनियम 1956 के अनुच्छेद 2 एफ एवं 12 बी के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त हुई। आरम्भिक वर्ष 1972 ई. में मात्र विज्ञान संकाय के पाँच विषयों– वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित एवं भौतिक विज्ञान में शिक्षण कार्य प्रारम्भ हुआ। धीरे–धीरे संकायों एवं विषयों की संख्या बढ़ती गयी। वर्ष 1975 ई. में अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, हिन्दी एवं संस्कृत विषयों के साथ कला संकाय की स्थापना की गयी, जिसमें वर्ष 1988 ई. में इतिहास एवं राजनीति विज्ञान तथा वर्ष 1989 ई. में भूगोल विषय भी जुड़ गये। 1989 ई. में वाणिज्य संकाय की भी स्थापना हुई। सत्र 2004–05 से महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर विभिन्न विषयों में अध्यापन प्रारम्भ कर दिया गया। वर्ष 2008 ई. में शिक्षक–शिक्षा संकाय की स्थापना की गयी तथा स्ववित्तपोषित बी.एड. का पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् (NAAC) द्वारा वर्ष 2016 ई. में महाविद्यालय को 'B' ग्रेड प्रदान किया गया।

मनःसृष्टि (Vision)

शिक्षा से व्यक्ति की आध्यात्मिक एवं भौतिक प्रगति तथा समाज का अभ्युदय।

संकल्प (Mission)

समुचित, प्रासंगिक एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के द्वारा ग्रामीण पर्वतीय जन का समग्र विकास।

उद्देश्य (Objectives)

- ग्रामीण पर्वतीय जनता, विशेष रूप से वंचित एवं कमजोर समुदाय में उच्च शिक्षा का प्रसार।
- वैज्ञानिक एवं नैतिक शिक्षा का संवर्द्धन एवं शैक्षणिक उन्नयन।
- विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास।
- उदार एवं पारम्परिक मूल्यों का विकास।

सूत्रवाक्य (Motto)

'विद्ययाऽमृतमश्नुते' – विद्या से अमरत्व की प्राप्ति होती है। – ईशोपनिषद।

पुरोवाक्

प्रिय विद्यार्थी!

भक्त दर्शन, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जयहरीखाल परिवार में आपका स्वागत है। आधी सदी हुई जब इस क्षेत्र के सुधी जननायकों ने यहाँ के युवा को उच्च शिक्षा सुलभ करवाने के लिए एक नजदीकी महाविद्यालय की उपलब्धता का स्वप्न साकार किया और अस्तित्व में आया हमारा यह महाविद्यालय। तब से यह ज्ञानधारा अपने अमृत से कई मस्तिष्कों की ज्ञान–पिपासा को तृप्त करते हुए एक लम्बी यात्रा तय कर चुकी है।

देश भर से चयनित विद्वान प्राध्यापकों के ज्ञान का लाभ उठाकर, महाविद्यालय ने क्षेत्रीय युवाओं को विविध विद्या–शाखाओं में दीक्षित करते हुए, राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न आयामों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले नागरिक प्रदान किये हैं। हमारे पास पूर्व–छात्रों की सुदीर्घ परंपरा है, जो शिक्षा, समाज, राजनीति, राजकीय सेवाओं और सेना इत्यादि में कर्मरत होकर देश को समृद्ध कर रहे हैं। आशा है कि आप भी उनसे प्रेरित होंगे व महाविद्यालय की गौरवपूर्ण परंपरा को आगे बढ़ायेंगे।

वर्तमान में महाविद्यालय के विविध विषयों के विशेषज्ञ प्राध्यापक आपको आपके चयनित ज्ञानपथ पर अग्रसर होने में और आपके ज्ञानार्जन को सरल व सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। महाविद्यालय की कक्षाएँ, प्रयोगशालाएँ, पुस्तकालय, मंच और खेल का मैदान इत्यादि आपके हुनर को परखने, निखारने और कुशलता तक पहुँचाने के लिए आतुर हैं।

यह प्रवेश–निर्देशिका आपको इस महाविद्यालय के समस्त पक्षों का परिचयात्मक विवरण देते हुए प्रवेश प्रक्रिया, प्रवेश नियमों व महाविद्यालय में आपके अध्ययन काल में अपेक्षित आचरण–संस्कृति से परिचित करवाती है।

आप महाविद्यालय और उच्च शिक्षा की विराट परंपरा को आत्मसात कर अपने चयनित पाठ्यक्रम में कुशलता पाते हुए देश के योग्यतम नागरिक की गरिमा को लब्ध करें, इस शुभाशंसा के साथ महाविद्यालय आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है।

(प्रो. लवनी आर. राजवंशी)
प्राचार्य

भक्त दर्शन (1912–1991 ई.)

श्री भक्तदर्शन (1912–1991 ई.)

जीवन-परिचय

स्वाधीनता आंदोलन के अग्रणी नेता तथा महान स्वतंत्रता सेनानी श्री भक्त दर्शन बहुमुखी तथा विलक्षण व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने राजनीति, साहित्य, शिक्षा, पत्रकारिता तथा सार्वजनिक जीवन में अद्वितीय मानक स्थापित किये। इस महान तथा कालजयी विभूति का इस धरा पर आविर्भाव तत्कालीन संयुक्त प्रांत के बस्ती जनपद के बासी तहसील में हुआ था, जहाँ उनके पिता ठाकुर गोपाल सिंह रावत राजस्व विभाग में अधिकारी थे। गोपाल सिंह रावत उत्तराखंड के पौड़ी जनपद के ग्राम भौराड़, पट्टी साबली के निवासी थे। भक्त दर्शन के बाल्यावस्था का नाम राजदर्शन था, जिसे उन्होंने बदलकर भक्त दर्शन कर लिया, क्योंकि राजदर्शन संज्ञा से राजसत्ता को महत्ता देने जैसा भाव प्रकट होता था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पिता के सान्निध्य में हुई तथा हाईस्कूल–इंटरमीडिएट की शिक्षा डी.ए.वी. कॉलेज देहरादून से हुई। गुरुदेव रवीन्द्र नाथ ठाकुर के प्रख्यात शिक्षा केन्द्र शांति निकेतन से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एम.ए. की डिग्री प्राप्त की।

ब्रिटिश हुकूमत के दमनकारी और उत्पीड़क शासन के खिलाफ गाँधी जी के द्वारा आहूत भारत व्यापी नमक सत्याग्रह में भक्त दर्शन ने सक्रिय सहभाग लिया। 9 जून, 1930 ई. को पौड़ी में कुमाऊँ के राजनीतिक कार्यकर्ताओं का हरगोविंद पंत के सभापतित्व में अधिवेशन बुलाया गया और तदुपरांत जिला कांग्रेस कमेटी की विधिवत् स्थापना की गयी। भक्त दर्शन की अगुवाई में कांग्रेस के तत्वावधान में सत्याग्रह समिति का गठन किया गया तथा गढ़वाल में पुनर्गठित कांग्रेस समिति को प्रांतीय कांग्रेस समिति से संबद्ध कर सविनय अवज्ञा आंदोलन संचालित करने की रूपरेखा तैयार की गयी। लगानबंदी, शराब की दुकानों पर धरना, सार्वजनिक स्थलों पर स्वदेशी झंडा फहराना, सामूहिक सत्याग्रह कर ब्रिटिश शासन का विरोध करना इत्यादि इस समिति के प्रमुख कार्य थे। लगानबंदी के मुददे पर निर्णय लेने के लिए प्रांतीय कांग्रेस समिति से स्वीकृति लेना आवश्यक समझा गया तथा इस हेतु युवा भक्त दर्शन को अधिकृत किया गया। देहरादून में भक्त दर्शन को गढ़वाल में आंदोलन की रणनीति बनाने के अभियोग में 3 माह के कारावास की सजा सुनायी गयी।

1937 ई. में संयुक्त प्रांत में कांग्रेस मंत्रिमंडल की स्थापना हुई जिसके परिणामस्वरूप आम जनमानस में उत्साह का संचार हुआ तथा जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की अपेक्षाएँ और उम्मीदें बलवती हो गयी। 5 और 6 मई, 1938 ई. को श्रीनगर (गढ़वाल) में जवाहर लाल नेहरू ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन का उद्घाटन किया तथा 18 सूत्रीय मांगों पर सहमति व्यक्त करते हुए जनता के साथ पूर्ण सहयोग का वचन दिया, किंतु जिला कांग्रेस कमेटी की चेतावनी और नेहरू जी के आश्वासन के बावजूद स्थानीय जनता की मांगों के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैये के कारण कांग्रेस कार्यकर्ताओं का रोष बढ़ता गया। भक्त दर्शन एक परिपक्व तथा दूरदर्शी राजनेता के रूप में पहले कांग्रेस फिर गढ़वाल के क्षेत्रीय हितों को प्राथमिकता देने के पक्षधर थे। भक्त दर्शन का मानना था कि इस प्रकार का अंतर्विरोध राष्ट्रीय आंदोलन की धारा को कमजोर कर सकता है।

1942 ई. के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्हें जयहरीखाल में गिरफ्तार किया गया तथा 18 अगस्त, 1942, से 17 जनवरी, 1944 ई. तक नजरबंद रखा गया। कारावास की यातनापूर्ण अवधि का इन्होंने रचनात्मक उपयोग किया तथा अपनी पुस्तक 'गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ' की पांडुलिपि तैयार की। गाँधी के राष्ट्रवादी आंदोलनों के समानांतर टिहरी रियासत में भी दमनकारी राजशाही के विरुद्ध श्रीदेव सुमन के नेतृत्व में बगावत की लपटें जोर से फैल रही थी। भक्त दर्शन ने 'कर्मभूमि' पत्र के माध्यम से टिहरी रियासत की जनता के जनांदोलन का नैतिक समर्थन किया। जब टिहरी रियासत की जनता के मुक्तियज्ञ में श्रीदेव सुमन ने अपने प्राणों की आहुति दे दी

तो 31 दिसंबर, 1945 ई. को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई लोक परिषद् की उदयपुर बैठक में भक्त दर्शन ने उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि सुमन ने हिम्मत और त्याग का जो आदर्श उपस्थित किया है, वह चिरस्मरणीय रहेगा।

स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेताओं ने पत्रकारिता के द्वारा भी भारतीय जनमानस को राजनीतिक प्रशिक्षण दिया तथा ब्रिटिश विरोधी चेतना को एकजुट किया। गाँधी, नेहरू तथा अबुल कलाम आजाद के पदचिह्नों का अनुकरण करते हुए भक्त दर्शन ने भी 1939 ई. में 'कर्मभूमि' पत्र का संपादन किया। 'कर्मभूमि' साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन कांग्रेस आंदोलन की विकास की दृष्टि से युगांतरकारी सिद्ध हुआ तथा प्रवेशांक से ही इसकी लोकप्रियता स्थापित हो गयी। 'कर्मभूमि' के अतिरिक्त भक्त दर्शन ने साप्ताहिक 'गढ़देश' तथा 'दैनिक भारत' जैसे पत्रों का भी संपादन किया।

स्वतंत्र भारत में भक्त दर्शन ने कई महत्वपूर्ण तथा गरिमामयी पदों को सुशोभित किया। योग्यता, ईमानदारी, सदाशयता तथा जनहित के प्रति अपूर्व समर्पण के कारण 1948 ई. में उन्हें जिला परिषद् का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया तथा 1950 ई. में वे गढ़वाल के नियोजन अधिकारी बने। कर्तव्यनिष्ठा तथा लोकप्रिय राजनीतिक जीवन के कारण उन्हें 1952 से 1971 ई. तक गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित होने का अवसर प्राप्त हुआ।

इस अवधि के दौरान भक्त दर्शन को तीन यशस्वी प्रधानमंत्रियों, पं. जवाहरलाल नेहरू, श्री लाल बहादुर शास्त्री तथा श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में मंत्री के रूप में दायित्व निभाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। भक्त दर्शन का छः दशकों का सार्वजनिक जीवन मूल्य आधारित राजनीति और व्यक्तिगत सच्चरित्रता का उत्कृष्ट उदाहरण बन गया। सक्रिय राजनीतिक जीवन से अवकाश के बाद भक्त दर्शन खादी बोर्ड के अध्यक्ष (1971–1972 ई.), कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति (1972–1977 ई.) तथा उतर प्रदेश हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष (1988–1990 ई.) रहे। हिंदी तथा गढ़वाली भाषा से उन्हें असीम अनुराग था। केन्द्रीय शिक्षा राज्य मंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने सदैव हिंदी भाषा के विकास के लिए सराहनीय प्रयास किया। उनके मार्गदर्शन में उतर प्रदेश हिंदी संस्थान से कई मानक ग्रंथों का प्रकाशन, अनुवाद तथा संपादन हुआ।

भक्त दर्शन उतराखंड के इतिहास में महान स्वतंत्रता सेनानी, विद्वान लेखक, निर्भीक पत्रकार व संपादक, कुशल राजनीतिज्ञ, कार्यदक्ष मंत्री तथा प्रख्यात गांधीवादी विचारक के रूप में सदैव स्मरणीय रहेंगे। राजकीय स्नातकोतर महाविद्यालय जयहरीखाल का नामकरण इस महान विभूति के नाम पर किया जाना उस विराट व्यक्तित्व के प्रति एक सूक्ष्म श्रद्धांजलि है।

संक्षिप्त जीवन–वृत्त

जन्म	–	12 फरवरी 1912 ई.।
जन्म–स्थान	–	तहसील–बासी, जिला– बस्ती, उत्तर प्रदेश।
पैतृक निवास	–	ग्राम– भौराड़, पटटी– साबली, जिला– गढ़वाल।
हाई स्कूल व इंटरमीडिएट	–	डी.ए.वी. कॉलेज देहरादून।
बी.ए.	–	शांतिनिकेतन कलकत्ता।
एम.ए.	–	इलाहबाद विश्वविद्यालय।
संपादन 'कर्मभूमि'	–	1939–1947 ई.।
सांसद गढ़वाल संसदीय क्षेत्र	–	1952–1971 ई.।
अध्यक्ष उ.प्र. खादी बोर्ड	–	1971– 1972 ई.।
कुलपति कानपुर विश्वविद्यालय	–	1972–1977 ई.।
उपाध्यक्ष, उ.प्र. हिंदी संस्थान	–	1988–1990 ई.।
निवास स्थान	–	जयहरीखाल तथा देहरादून।
मृत्यु	–	30 अप्रैल 1991, देहरादून।

प्रवेशार्थी–निर्देशिका, 2022–23

उत्तराखंड शासन के आदेशानुसार सत्र 2018–2019 से महाविद्यालय को श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय, टिहरी गढ़वाल से सम्बद्ध कर दिया गया है। स्नातक स्तर पर वार्षिक पद्धति एवं स्नातकोत्तर स्तर पर सेमेस्टर पद्धति से प्रवेश दिया जायेगा (इस संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा किया गया कोई भी परिवर्तन लागू होगा)।

नोट– राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन प्रक्रिया में है। हमारा राज्य भी नयी नीति को लागू करेगा। अतः प्रवेश प्रक्रिया तथा नियमों में तदनुसार संभाव्य परिवर्तन लागू होंगे।

विविध संकाय एवं विषय / पाठ्यक्रम चयन

वर्तमान में महाविद्यालय में विभिन्न संकायो के अन्तर्गत विषय चयन की व्यवस्था निम्नवत है–

स्नातक स्तर पर प्रवेश हेतु अर्हता विज्ञान / वाणिज्य / कला वर्ग से इण्टरमीडिएट या केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करना होगी।

बी.एससी. एवं बी.ए. में प्रवेशार्थियों को तीन विषयों का चयन करना अनिवार्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार स्नातक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन विषय अनिवार्य रूप से संचालित किया जाता है। अतः स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष में पर्यावरण विषय को अन्य तीन विषयों के अतिरिक्त उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।

1. कला संकाय में उपलब्ध विषय

क्रमांक	विषय	स्नातक स्तर पर सीट	स्नातकोत्तर स्तर पर सीट
1	हिंदी	120	60
2	अग्रेजी	120	–
3	संस्कृत	60	–
4	इतिहास	120	60
5	भूगोल	60	–
6	राजनीति विज्ञान	120	60
7	अर्थशास्त्र	120	60

बी.ए. में भूगोल एवं इतिहास विषय एक साथ नहीं लिये जा सकते हैं।

भूगोल विषय तभी स्वीकृत किया जायेगा जब इण्टरमीडिएट स्तर पर अध्ययन एवं उत्तीर्ण किया गया हो अथवा इण्टरमीडिएट विज्ञान वर्ग के विषयों के साथ उत्तीर्ण की गई हो।

बी.ए. प्रथम वर्ष में प्रवेशार्थी हिन्दी, संस्कृत अथवा अंग्रेजी में से कोई दो विषय ही चुन सकता है।

स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश हेतु अर्हता विज्ञान / वाणिज्य / कला वर्ग से स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करना होगी।

2. विज्ञान संकाय में उपलब्ध विषय

स्नातक स्तर पर प्रवेश हेतु अर्हता विज्ञान वर्ग से इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करना होगी। अध्ययन हेतु निम्नलिखित में से किसी एक समूह का चयन किया जा सकता है।

1. गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान / गणित, भौतिक विज्ञान, भू–विज्ञान।
2. जन्तु विज्ञान, वनस्पति, रसायन विज्ञान / जन्तु विज्ञान, वनस्पति भू–विज्ञान।

क्रमांक	विषय	स्नातक स्तर पर सीट	स्नातकोत्तर स्तर पर सीट
1	गणित	60	–
2	भौतिक विज्ञान	60	–
3	रसायन विज्ञान	120	15
4	जंतु विज्ञान	60	15
5	वनस्पति विज्ञान	60	15
6	भू–विज्ञान	60	–

विज्ञान वर्ग में प्रवेशार्थी किसी विषय समूह हेतु तभी अर्ह होगा जब इण्टरमीडिएट परीक्षा में वह उस विषय समूह में उत्तीर्ण होगा। बी.एससी. में रसायन विज्ञान एवं भू विज्ञान विषय एक साथ नहीं लिये जा सकते हैं। स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश हेतु अर्हता विज्ञान के संबंधित विषय समूह से स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करना होगी।

3. वाणिज्य संकाय में उपलब्ध विषय

क्रमांक	विषय	स्नातक स्तर पर सीट	स्नातकोत्तर स्तर पर सीट
1	वाणिज्य	60	60

स्नातक स्तर पर प्रवेश हेतु अर्हता वाणिज्य वर्ग से इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करना होगी। अन्य विषय के साथ अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले परीक्षार्थियों को मुख्य परीक्षा के साथ वाणिज्य में क्वालीफाईंग परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश हेतु अर्हता परीक्षा वाणिज्य वर्ग से स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करना होगी।

4. शिक्षक–शिक्षा संकाय (बी.एड.)

महाविद्यालय में स्ववित्तपोषित द्विवर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम संचालित है। श्रीदेव सुमन उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण प्रवेशार्थियों को इसमें प्रवेश दिया जाता है। महाविद्यालय में विज्ञान व विज्ञानेतर विषयों को मिलाकर कुल 50+5 EWS स्थान उपलब्ध हैं। इसके प्रवेश व संचालन नियम विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (**NCTE**) के निर्देशन में बनाये जाते हैं। प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय द्वारा यथासमय सम्पादित की जाती है।

5. प्रस्तावित स्ववित्तपोषित रोजगारपरक पाठ्यक्रम

वर्तमान सत्र से महाविद्यालय में निम्नांकित स्ववित्तपोषित रोजगारपरक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (विश्वविद्यालय से मान्यता मिलने पर) आरंभ किये जाने प्रस्तावित हैं–

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	शुल्क
1	योग	6 माह	वि.वि.के अनुसार
2	पर्यटन	1 वर्ष	वि.वि.के अनुसार

दूरस्थ शिक्षा

उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय (**UOU**)– महाविद्यालय परिसर में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय (**UOU**) का अध्ययन केन्द्र संख्या–14005, सत्र : 2010–11 से संचालित है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (**UGC**) तथा उत्तराखंड शासन द्वारा व्यक्तिगत परीक्षा प्रणाली समाप्ति के उपरान्त प्रवेशार्थी दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेकर शिक्षा का लाभ उठा सकता है। इस केन्द्र के पाठ्यक्रमों का लाभ कोई भी विद्यार्थी अथवा अन्य कोई नौकरीपेशा व्यक्ति उठा सकता है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के इस अध्ययन केन्द्र द्वारा संचालित ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन सत्रों हेतु पाठ्यक्रम इस प्रकार हैं–

1. बी.ए., बी.कॉम., बी.बी.ए., बी.एससी.।
2. एम.ए. (अंग्रेजी, हिन्दी, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र)।

3. एम.एससी. (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान)।
4. एम. कॉम., एम.बी.ए., एम.एस.डब्ल्यू.।
5. डिप्लोमा कोर्स– प्रबन्धन, टूरिज्म स्टडीज, जन स्वास्थ्य एवं सामुदायिक पोषण।
6. स्नातकोत्तर डिप्लोमा– मानव संसाधन प्रबन्धन, विपणन प्रबन्धन, आपदा प्रबन्धन।
7. सर्टिफिकेट कोर्स– पंचायती राज, विक्रय कला एवं विपणन, अंग्रेजी भाषा, व्यक्तित्व विकास।
8. कला एवं वाणिज्य में स्नातक हेतु प्रारम्भिक कार्यक्रम (दसवीं/बारहवीं कक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी/जिनके पास स्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु किसी प्रकार का औपचारिक शिक्षा प्रमाण पत्र नहीं है)।

अनुशासन

अनुशासक मंडल (**Proctorial Board**) महाविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने के लिए उत्तरदायी है। महाविद्यालय की परम्परा निभाने के लिए समय–समय पर नियम बनाये जाते हैं, जिनका पालन छात्रों के लिए अनिवार्य है। विद्यार्थी द्वारा किसी भी अनुचित व्यवहार या किसी नियम के उल्लंघन पर महाविद्यालय द्वारा उसके विरुद्ध उचित दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी। इसके अन्तर्गत निलम्बन, निष्कासन, विश्वविद्यालय परीक्षा से वंचित करना आदि सम्मिलित हैं।

उपस्थिति नियम

शासनादेश संख्या 528(1)/15–(उ.शि.)1/97 दिनांक 11 जून, 1997 के अनुसार महाविद्यालय का कोई भी छात्र विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति तब तक प्राप्त नहीं कर सकेगा जब तक कि वह लेक्चर/ट्यूटोरियल/प्रायोगिक कक्षाओं में पृथक्–पृथक् 75% उपस्थिति पूरी नहीं करता। बी.एड. के छात्र–अध्यापकों की 80% उपस्थिति अनिवार्य होगी।

रैगिंग निषेध

माननीय उच्चतम न्यायालय ने शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग को संज्ञेय अपराध माना है और इसे रोकने के लिए शिक्षण संस्थाओं को निर्देश जारी किये हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी रैगिंग को अमानवीय, असामाजिक एवं आपराधिक कृत्य मानते हुए शिक्षण संस्थाओं को निर्देश जारी किये हैं। इनके अनुपालन में महाविद्यालय द्वारा रैगिंग पर पूर्ण रोक सुनिश्चित करने हेतु महाविद्यालय में रैगिंग निरोधी समिति (Anti Ragging Committee) का गठन किया गया है।

रैगिंग का तात्पर्य है, "लिखकर, बोलकर, हावभाव दिखाकर अथवा शारीरिक क्रिया से किसी विद्यार्थी को कष्ट पहुँचाना, किसी विद्यार्थी को भौतिक रूप से प्रताड़ित करनाय नवागन्तुक एवं अपने से कनिष्ठ विद्यार्थियों को डराना, धमकाना, हतोत्साहित करना, उनके क्रियाकलापों में अवरोध पैदा करना, परेशान करना, मानसिक क्लेश पहुँचाना, उन्हें ऐसे कृत्य करने के लिए बाध्य करना जिन्हें वे सामान्य दशा में नहीं करते हैं अथवा जिन्हें करके वे शर्मिन्दा होते हैं, दुःखी होते हैं और ऐसा करके उनके भौतिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है तथा रैगिंग जैसे दुष्कृत्य को प्रेरित करना।"

रैगिंग में लिप्त पाये गये विद्यार्थी के विरुद्ध अपराध की गम्भीरता के अनुसार निम्नलिखित दण्डात्मक कार्रवाइयों का प्रावधान है–

(1) प्रवेश निरस्तीकरण (2) कक्षा से निलम्बन एवं परीक्षा देने पर प्रतिबन्ध (3) छात्रवृत्ति एवं अन्य सुविधाओं पर रोक (4) छात्रावास से निष्कासन (5) रु. 25,000.00 का जुर्माना (6) संस्थान से निष्कासन एवं किसी अन्य संस्था में प्रवेश पर प्रतिबंध (7) न्यायालय में मुकदमा चलाया जाना आदि।

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित बातों पर प्रमुख रूप से ध्यान दें–

1. कक्षा व महाविद्यालय परिसर में धूम्रपान, तम्बाकू, पान, गुटखा आदि का सेवन न करें।
2. संस्थान के भवन व अन्य सामग्रियों को क्षति न पहुँचायें।
3. दीवारों, दरवाजों व मेजों पर न लिखें व उन पर इश्तहार न लगायें।
4. शास्ता द्वारा दिये गये निर्देशों का उल्लंघन न करें।

5. वचन या कर्म द्वारा हिंसा अथवा बल प्रयोग न करें।

6. अन्य विद्यार्थियों के साथ अशिष्ट व्यवहार न करें।

7. शिक्षकों व अधिकारियों का मन, वचन या क्रिया द्वारा निरादर न करें।

8. ऐसा कोई भी कार्य करने की चेष्टा न करें जिससे महाविद्यालय की गरिमा को ठेस पहुँचे।

9. महाविद्यालय परिसर धूम्रपान रहित क्षेत्र है। अतएव महाविद्यालय परिसर में धूम्रपान करना दंडनीय अपराध है। अन्यथा की स्थिति में उपर्युक्त दण्डात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

अन्य सुविधाएँ

पुस्तकालय / वाचनालय / बुक बैंक

(1) पुस्तकालय– महाविद्यालय पुस्तकालय प्रत्येक कार्य दिवस में खुला रहता है। पुस्तकें प्राप्त करने के लिए निर्धारित माँग–पत्र भरकर पुस्तकालयाध्यक्ष को देना चाहिए। इसके लिए छात्र को अपना पुस्तकालय पत्र एवं परिचय पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। परिचय पत्र के बिना पुस्तकें निर्गत नहीं की जायेंगी। पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा माँगे जाने पर छात्र को निर्गत पुस्तक लौटानी होगी। पुस्तकों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी छात्र की होगी। यदि कोई पुस्तक फट जाये, गन्दी हो जाये या किसी भाँति नष्ट हो जाये तो छात्र को उसके बदले में नयी पुस्तक लौटानी होगी। संदर्भ पुस्तकें वाचनालय में ही पढ़ी जा सकेंगी। सभी पुस्तकें परीक्षा आरम्भ होने से एक सप्ताह पूर्व लौटानी होंगी।

(2) वाचनालय– महाविद्यालय में छात्रों के लिये दैनिक पत्र एवं पत्रिकाएँ पढ़ने एवं संदर्भ पुस्तकों के अध्ययन के लिए वाचनालय की व्यवस्था है। पत्र–पत्रिकाओं को वाचनालय से बाहर ले जाना वर्जित है। वाचनालय में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ उपलब्ध हैं।

सेवायोजन परामर्श केन्द्र (Career Counseling Cell)

छात्रों को विभिन्न सेवाओं में सेवायोजन हेतु सहायता / परामर्श देने के लिए महाविद्यालय में सेवायोजन परामर्श केन्द्र की स्थापना की गयी है, जिसके अन्तर्गत छात्रों को सेवायोजन संबंधी अपेक्षित सूचना एवं परामर्श दिया जाता है। छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं यथा एन.ई.ई.टी., जे.ई.ई., आई.ए.एस., पी.सी.एस., सी.डी.एस., आदि हेतु तैयारी करने के लिए उचित सहयोग प्रदान किया जाता है।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण (ICT Lab)

उच्च शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाने के उद्देश्य से महाविद्यालय में व्यावसायिक कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन होता है। इसके माध्यम से छात्र महाविद्यालय प्रांगण में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ स्थापित कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र में कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।

एडुसैट (EDUSAT)

महाविद्यालय के उच्च तकनीकी सुविधा से युक्त एडूसैट कक्ष में 30 विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था है। जिसमें स्नातक स्तर के विद्यार्थी देहरादून हब से सेटेलाईट प्रसारण के माध्यम से अपने पाठ्यक्रम से संबंधित उच्चकोटि के उपयोगी जीवन्त वीडियो–व्याख्यानों से लाभान्वित होते हैं।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA)

महाविद्यालय, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) से आच्छादित है। जिससे प्राप्त सुविधाओं से महाविद्यालय उन्नति के पथ पर अग्रसर है।

जिम्नेजियम (Gymnasium)

महाविद्यालय में विद्यार्थियों के शरीर सौष्ठव एवं स्वास्थ्य को बनाये रखने के लिये उच्च गुणवत्ता वाले उपयोगी उपकरणों से युक्त जिम्नेजियम–सह–व्यायाम कक्ष की व्यवस्था है। यहाँ वे नियमित व्यायाम के माध्यम से अपने स्वास्थ्य का संवर्द्धन एवं विकास कर स्वयं प्रफुल्लचित्त रह सकते हैं।

महिला शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (Women's Cell)

छात्राओं की समस्याओं के समाधान हेतु महिला शिकायत निवारण प्रकोष्ठ गठित किया गया है। छात्राएँ अपनी किसी भी समस्या के संबंध में समिति से संपर्क कर सकती हैं।

छात्र–कल्याण (Student Welfare)

(1) छात्रवृत्ति– महाविद्यालय द्वारा विभिन्न छात्रवृत्तियाँ एवं अनुदान प्रदान किये जाते हैं। छात्रवृत्ति पाने वाले अभ्यर्थी की उपस्थिति कम से कम 75% प्रतिमाह होनी आवश्यक है। राजाज्ञानुसार छात्र को एक ही प्रकार की आर्थिक सहायता मिलती है। जो बी.एड. प्रशिक्षणार्थी छात्रवृत्ति हेतु अर्ह हैं वे भी अपने विभागाध्यक्ष से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। महाविद्यालय द्वारा वितरित प्रमुख छात्रवृत्तियाँ एवं अनुदान निम्नवत् है–

i) अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति– यह छात्रवृत्ति उक्त वर्ग के उन विद्यार्थियों को दी जाती है जो महाविद्यालय के नियमित छात्र हैं। इसके लिए–

अ. अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं हेतु माता–पिता या अभिभावक की वार्षिक आय अधिकतम 1 लाख रुपये तक होनी चाहिए। (शासनादेशानुसार)

ब. अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं हेतु माता–पिता या अभिभावक की वार्षिक आय अधिकतम ढाई लाख रुपये तक होनी चाहिए। (शासनादेशानुसार)

स. पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं हेतु माता–पिता या अभिभावक की वार्षिक आय अधिकतम दो लाख रुपये तक होनी चाहिए। (शासनादेशानुसार)

ii) दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति– यह छात्रवृत्ति कम से कम 40% प्रमाणित दिव्यांगता वाले महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थियों को दी जाती है। इन विद्यार्थियों के माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रु. 24,000/– से अधिक नहीं होनी चाहिए। छात्रवृत्ति हेतु निर्धारित प्रार्थना–पत्र कार्यालय से प्राप्त कर आय प्रमाणपत्र एवं दिव्यांगता प्रमाणपत्र सहित कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करना होगा।

(नोट– उक्त छात्रवृत्तियाँ जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा स्वीकृत की जाती हैं।)

iii) श्रीमती गायत्री देवी–विश्वम्भर दत्त जोशी छात्रवृत्ति–यह छात्रवृत्ति ऐसे छात्र/छात्राओं को देय है, जिनके माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रु. 36,000/– हो तथा जिन्होंने स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा कम से कम 50% अंक प्राप्त किये हो तथा उन्हें अन्य किसी प्रकार की सहायता प्राप्त न हो।

विशेष– समय–समय पर उक्त छात्रवृत्तियों की दरों एवं अन्य नियमों में परिवर्तन होते रहते है, अतः विद्यार्थियों को महाविद्यालय कार्यालय तथा प्रभारी प्राध्यापक से सम्पर्क बनाये रखना चाहिए। छात्रवृत्ति पाने वाले अभ्यर्थी की उपस्थिति कम से कम 75% होनी आवश्यक है।

(2) **शुल्क मुक्ति**– निर्धन एवं मेधावी छात्रों को शुल्क मुक्ति प्रदान की जाती है। महाविद्यालय में अध्ययनरत दो या दो से अधिक सगे भाई/बहन में से एक या दो को अर्द्ध शुल्क मुक्ति दिये जाने का प्रावधान है। शुल्क मुक्ति उसी दशा में जारी रह सकेगी जब तक कि छात्र की प्रगति निरन्तर संतोषप्रद, अध्ययन नियमित, आचरण उत्तम तथा प्रत्येक माह में उपस्थिति कम से कम 75% हो। प्राचार्य को किसी भी समय बिना कारण बताये इस सुविधा को समाप्त करने का अधिकार है।

(3) **रेलवे कन्सेशन**– महाविद्यालय के नियमित छात्र/छात्राओं को ग्रीष्मावकाश एवं शीतावकाश में घर जाने एवं शैक्षिक परिभ्रमण के लिए रेलवे कन्सेशन की सुविधा प्रदान की जाती है। रेल किराये में यह छूट नियमानुसार कोटद्वार से स्थायी निवास एवं स्थायी निवास से कोटद्वार हेतु रेल विभाग द्वारा दी जाती है। इसके लिए विद्यार्थी को कम से कम 10 दिन पूर्व आवेदन करना चाहिए।

परिचय पत्र/चरित्र प्रमाण– पत्र/स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र

(1) **परिचय पत्र**– संस्था के प्रमाणित छात्र होने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को प्रॉक्टोरियल बोर्ड द्वारा प्रदत्त परिचय पत्र

अवश्य प्राप्त करना होगा, और इसे हमेशा अपने साथ रखना होगा। परिसर में कभी भी प्रॉक्टोरियल बोर्ड द्वारा विद्यार्थी से परिचय पत्र माँगा जा सकता है। परिचय पत्र न दिखा पाने की स्थिति में उसे परिसर से निष्कासित किया जा सकता है।

(2) **चरित्र प्रमाणपत्र**– चरित्र प्रमाणपत्र पूरे शिक्षा सत्र में केवल दो स्थितियों में दिया जायेगा– (i) कम से कम 6 महीने से अध्ययनरत होने पर (ii) परीक्षाफल निकलने के बाद।

नोट– चरित्र प्रमाणपत्र शास्ता (Proctor) की संस्तुति पर दिया जाता है।

(3) **स्थानान्तरण प्रमाणपत्र**– इस के लिए छात्र को निर्धारित प्रारूप पर प्राचार्य को प्रार्थना पत्र देना होगा तथा आवश्यक शुल्क जमा करना होगा। सामान्यतः प्रार्थना पत्र देने के 03 दिन बाद ही स्थानांतरण प्रमाणपत्र दिया जायेगा।

शिक्षणेतर/पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप

विद्यार्थियों के बहुमुखी विकास हेतु महाविद्यालय में निम्नलिखित शिक्षणेतर एवं पाठ्यसहगामी गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं–

(1) **राष्ट्रीय सेवा योजना** (National Service Scheme)– महात्मा गाँधी की अवधरणा के अनुरूप देश के युवा को सामाजिक कार्यों से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम की संकल्पना की गयी है। इसमें नियमित एवं विशेष शिविरों का आयोजन किया जाता है, जिनमें विद्यार्थी निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर प्रौढ़ शिक्षा, मार्ग सुधार, वृक्षारोपण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी कार्य करते हैं। वर्तमान में महाविद्यालय में एन.एस.एस. की दो इकाइयाँ पंजीकृत हैं। जिनमें अधिकतम 200 स्वयंसेवी पंजीकृत हो सकते हैं।

(2) **राष्ट्रीय कैडेट कोर** (National Cadet Core)– इसके अन्तर्गत छात्रों को अर्द्धसैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्तमान में महाविद्यालय में एन.सी.सी. की दो प्लाटून पंजीकृत हैं, जिनमें अधिकतम 106 कैडेट्स प्रवेश ले सकते हैं।

(3) **रोवर्स एण्ड रेंजर्स** (Rovers and Rangers)– यह स्काउट एण्ड गाइड की सीनियर शाखा होती है। इसमें अधिकतम 24 रोवर्स (Boys) एवं 24 रेंजर्स (Girls) पंजीकृत हो सकते हैं।

(4) **क्रीड़ा परिषद्**– महाविद्यालय में खेलकूद के स्तर में विकास एवं छात्रों की खेलों के प्रति अभिरुचि बढ़ाने के उद्देश्य से क्रीड़ा परिषद् की स्थापना की गयी है। परिसर में विभिन्न खेल–कूद एवं जिम्नेजियम की सुविधा उपलब्ध है।

(5) **सांस्कृतिक परिषद्**– प्रत्येक वर्ष महाविद्यालय में सांस्कृतिक परिषद् का गठन किया जाता है। इसकी कार्यकारिणी में प्रमुख भूमिका महाविद्यालय के सांस्कृतिक क्रिया–कलापों में अभिरुचि रखने वाले छात्रों की रहती है। सांस्कृतिक परिषद् विभिन्न अवसरों पर विविध कार्यक्रम तथा सत्रान्त में विशेष समारोह का आयोजन करती है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में गोष्ठी, परिचर्चा, वाद–विवाद प्रतियोगिता, नाटक, संगीत, नृत्य आदि प्रमुख हैं।

(6) **महाविद्यालय पत्रिका**– महाविद्यालय अपने छात्रों की रचनाशीलता का प्रकाशन वार्षिक पत्रिका 'उपत्यका' के रूप में करता है। इसके लिए सम्पादक मण्डल का गठन किया जाता है, जिसमें प्राध्यापकों के अतिरिक्त साहित्यिक रुचि व क्रियाशीलता के आधार पर दो छात्र/छात्रा सम्पादक भी होते हैं। रचनात्मकता युक्त सभी छात्रों को सम्पादक मण्डल से संपर्क कर अपनी रचनाओं के प्रकाशन के लिए प्रयास करना चाहिए।

(7) **विभागीय परिषदें**– प्रत्येक विभाग में एक विभागीय परिषद् होती है और उस विभाग के समस्त विद्यार्थी परिषद् के सदस्य होते हैं। विभागीय परिषद् के तत्त्वावधान में निबन्ध, वाद–विवाद प्रतियोगिता, विचार गोष्ठी एवं अन्य उपयोगी क्रियाकलाप संचालित किये जाते हैं।

(8) **प्रसार व्याख्यान माला**– इसके अन्तर्गत छात्रों के सामान्य ज्ञान की अभिवृद्धि के लिए विभिन्न महत्त्वपूर्ण विषयों पर योग्य विद्वानों के व्याख्यान आयोजित किये जाते हैं।

(9) **सेमिनार**– महाविद्यालय में समय–समय पर विभागीय स्तर पर सेमिनार आयोजित किये जाते हैं जिनमें विद्यार्थी को शोधपत्र प्रस्तुत करने, परिचर्चा करने एवं शोध के क्षेत्र में प्रगति करने हेतु दिशा–निर्देशन प्राप्त होता है।

(10) **छात्र संघ**– माननीय उच्चतम न्यायालय, लिंगदोह समिति की सिफारिश एवं शासन के निर्देशानुसार महाविद्यालय में छात्र संघ का गठन किया जाता है। पदाधिकारियों का चुनाव संस्थागत छात्र–छात्राओं द्वारा किया जाता है। छात्र संघ में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, कोषाध्यक्ष तथा 6 कार्यकारिणी सदस्यों के अतिरिक्त एक पद विश्वविद्यालय प्रतिनिधि का होता है। छात्र संघ का उद्देश्य छात्रों को लोकतांत्रिक प्रणाली से परिचित कराना एवं महाविद्यालय के विद्यार्थियों की समस्याओं को महाविद्यालय प्रशासन के संज्ञान में लाना है।

(11) **कैंटीन**– विद्यार्थियों के लिए महाविद्यालय में कैंटीन की सुविधा है। यहाँ निर्धारित दर पर चाय, अल्पाहार एवं भोजन उपलब्ध रहता है।

प्रवेश प्रक्रिया

प्रवेश संबंधी सामान्य अनुदेश

1. प्रथम बार महाविद्यालय में प्रवेश एवं प्रत्येक बार उच्चीकृत कक्षा में प्रवेश के समय प्रवेशार्थी का नवीन आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र, प्रवेश निर्देशिका (Prospectus) सहित महाविद्यालय कार्यालय से निर्धारित मूल्य पर प्राप्त किया जा सकता है। प्रवेशार्थियों को चाहिए कि वे आवेदन पत्र भरने के पूर्व प्रवेश निर्देशिका का समुचित अध्ययन कर लें।

2. प्रवेशार्थियों को पूर्णतया भरे हुए एवं निर्धारित स्थान पर अपना नवीनतम पासपोर्ट आकार का आवक्ष फोटो लगे हुए आवेदनपत्र, निम्नलिखित प्रपत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ संलग्न कर महाविद्यालय कार्यालय में निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत करने होंगे–

(i) विगत सभी परीक्षाओं के अंक–पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ।

(ii) आयु प्रमाण पत्र के लिए हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि।

(iii) अन्तिम शिक्षण संस्था के स्थानान्तरण प्रमाणपत्र (Transfer Certificate) एवं चरित्र प्रमाणपत्र (Character Certificate) की मूल प्रति।

(स्नातक स्तर में प्रवेश हेतु अन्य राज्यों से इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण प्रवेशार्थी द्वारा स्थानान्तरण प्रमाणपत्र (TC) को संबंधित राज्य के जनपद के एतदर्थ सक्षम जनपद स्तरीय शिक्षा अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित (Countersign) कराना अनिवार्य है।)

(iv) किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ लेने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में निर्गत प्रमाणपत्र की मूल प्रति।

(v) किसी भी प्रकार के भारांक का लाभ लेने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में निर्गत प्रमाणपत्र की मूल प्रति।

(vi) अन्य राज्यों के प्रवेशार्थियों द्वारा पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र की मूल प्रति।

(vii) व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण प्रवेशार्थी को राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त आचरण संबंधी प्रमाणपत्र की मूल प्रति।

नोट – अन्य विश्वविद्यालय के प्रवेशार्थी को मूल प्रवजन प्रमाणपत्र (Migration Certificate) एक माह के अन्दर जमा करना आवश्यक है, अन्यथा प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

3. प्रवेश के समय प्रवेशार्थी को मूल प्रमाण पत्रों सहित स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है।

4. प्रवेश समिति सभी पूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार करेगी एवं उपलब्ध संसाधनों, सीटों की संख्या एवं निर्धारित योग्यता के अनुसार प्रवेश देगी।

5. प्रवेश समिति अर्ह प्रवेशार्थियों का मेरिट के आधार पर साक्षात्कार करने के पश्चात सफल प्रवेशार्थियों की सूची प्राचार्य की स्वीकृति हेतु संस्तुत करेगी। जिन प्रवेशार्थियों का प्रवेश प्राचार्य द्वारा स्वीकृत हो जायेगा, उनकी सूची सूचना पट पर चस्पा की जायेगी तथा उन्हें निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय कार्यालय/बैंक में शुल्क जमा करना होगा। अन्यथा उनका प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा। किन्तु कश्मीर से पुनर्स्थापितों के लिए अन्तिम तिथि में एक माह की छूट का प्रावधान है।

6. यदि किसी छात्र के अध्ययन काल में व्यवधान आ गया है, तो उसे प्रवेश तभी दिया जा सकता है, जब वह अध्ययन में व्यवधान के कारणों को स्पष्ट करते हुए सक्षम न्यायालय के नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित शपथपत्र तथा व्यवधान अवधि के लिए राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।

7. बी.एड. में प्रवेश श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश नियमों के आधार पर तथा उत्तराखंड सरकार के शासनादेशों एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार किया जायेगा।

2. प्रवेश नियम

1. स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर विज्ञान वर्ग में प्रवेश के लिए अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम 45% अंक तथा कला व वाणिज्य वर्ग के लिए अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक आवश्यक हैं। अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रवेशार्थियों के लिए 5% की छूट होगी। इस हेतु 44.99% व 39.99% को क्रमशः 45% व 40% नहीं माना जायेगा।

एम.कॉम. हेतु बी.ए./ बी.एस.सी. गणित/अर्थशास्त्र विषय में 50% अंको से उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

2. उत्तराखंड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के प्रवेशार्थियों को उत्तराखंड सरकार के शासनादेश के अनुसार आरक्षण का लाभ (क्रमशः 19%, 4%, 14% एवं 10%) दिया जायेगा। उत्तराखंड के प्रवेशार्थी को निम्नलिखित क्षैतिज आरक्षण भी देय होंगे–

(अ) महिला 30%
(स) दिव्यांग व्यक्ति 4%
(ब) स्वयं भूतपूर्व सैनिक 5%
(द) स्वतन्तत्रा संग्राम सेनानी आश्रित 2%

(10% स्थान अन्य राज्यों के प्रवेशार्थी हेतु आरक्षित होंगे।)

3. संस्थागत विद्यार्थी के रूप में केवल उत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा। अनुत्तीर्ण अथवा किसी अन्य कारण से परीक्षा में सम्मिलित न हो पाने वाले विद्यार्थी प्रवेश हेतु पात्र न होंगे।

4. इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात अधिकतम दो वर्ष का गैप होने पर ही प्रवेश दिया जा सकेगा। दो वर्ष से अधिक का अन्तराल अनुमन्य नहीं है।

5. स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष की मुख्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण अथवा परीक्षा छोड़ने वाले छात्र को केवल एक बार संकाय बदलकर उसी कक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है।

6. जिन छात्रों की गतिविधियाँ अनुशासन मण्डल/महाविद्यालय प्रशासन की राय में अवांछनीय हैं उन्हें प्रवेश लेने से रोका जा सकता है या निकाला जा सकता है या उनका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

7. अनुचित साधन प्रयोग के अन्तर्गत दण्डित छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

8. प्रवेश की अन्तिम तिथि के बाद प्रवेश आवेदन पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

9. गलत एवं अपूर्ण सूचनाएँ प्रस्तुत करने पर किसी भी छात्र को महाविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है। अगर किसी त्रुटिवश या गलत तथ्यों के आधार पर किसी छात्र/छात्रा को प्रवेश दे दिया गया तो तथ्यों के प्रकाश में आने पर इस अनियमित प्रवेश को निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

10. संस्थागत छात्र एक ही सत्र में अन्य किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश नही ले सकता है। नियम का उल्लंघन करने पर विश्वविद्यालय द्वारा उसकी परीक्षा निरस्त कर दी जायेगी।

11. प्राचार्य को बिना कारण बताए प्रवेश न देने / निरस्त करने का अधिकार होगा।

12. स्नातक कक्षाओं के लिए आवेदकों को पुनः उसी कक्षा में किसी विषय में अध्ययन हेतु प्रवेश नहीं दिया जायेगा, जिस कक्षा को उन्होंने पास कर लिया है। उदाहरण के तौर पर बी.एससी. उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी बी. एससी. में किसी दूसरे भिन्न विषयों के समूह के साथ या बी.ए. / बी.कॉम. में प्रवेश नहीं ले सकते है। हालांकि स्नातकोत्तर कक्षाओं में एक बार किसी विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् किसी दूसरे विषय में अर्हता पूर्ण करने के उपरान्त योग्यताक्रमानुसार प्रवेश दिया जा सकता है।

3. प्रवेश हेतु योग्यता सूचकांक का निर्धारण

1. स्नातक स्तर पर प्रवेश योग्यता–सूचकांक के आधार पर होगा, जो इण्टरमीडिएट के प्राप्तांकों के आधार पर बनाया जायेगा।

2. स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश योग्यता सूचकांक के आधार पर होगा जिसकी गणना इस सूत्र से की जायेगी–

$$\text{योग्यता सूचकांक} = \frac{\text{छात्र द्वारा प्राप्त A एवं B का योग x 100}}{\text{अधिकतम A एवं अधिकतम B का योग}}$$

यहाँ A स्नातक परीक्षा में कुल प्राप्तांक तथा B प्रवेश हेतु चयनित विषय में स्नातक के तीन वर्षों में लिखित (Theory) के प्राप्तांकों का योग है।

3. अन्य योग्यताओं के लिए अतिरिक्त अंक निम्नलिखित प्रकार से देय होंगे–

(i) जोनल / राज्य / राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को क्रमशः 3 एवं 5 अंक (अधिकतम 5 अंक)।

(ii) एन.सी.सी. के 'बी' प्रमाणपत्र धारक को 1 अंक, 'सी' प्रमाणपत्र धारक को 2 अंक तथा राष्ट्रीय गणतन्त्र दिवस परेड करने वाले को 3 अंक (अधिकतम 3 अंक)।

(iii) एन.एस.एस. के 'बी' प्रमाणपत्र धारक को 1 अंक तथा राष्ट्रीय 'सी' प्रमाणपत्र धारण करने वाले को अधिकतम 2 अंक (अधिकतम 2 अंक)।

(iv) स्काउट में जी.1 धारक को 1 अंक, जी.2 धारक को 2 अंक तथा ध्रुवपद / गुरुपद धारक को 2 अंक। (अधिकतम 2 अंक)

(v) प्रवेश नियमावली से संबंधित किसी उपबंध में परिवर्तन होने पर नया नियम प्रभावी होगा।

नोट–

(1) उपर्युक्त नियम 3 में स्नातक स्तर पर अधिकतम 15 अंक स्नातकोत्तर स्तर पर अधिकतम 17 अंक ही देय होंगे।

(2) माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में शासन के पत्र संख्या–153 / XXIV(4) / 2017–09(35) / 2016, दिनांक–6जून, 2017 एवं निदेशालय के पत्रांक डिग्री–विधि / 3440–3557 / 2017–18, दिनांक– 7 जून, 2017 के माध्यम से महाविद्यालय में पूर्व में लागू उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों, मण्डल के विद्यालयों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों, महाविद्यालय के प्राध्यापकों / कर्मचारियों के पाल्यों एवं पोषक विद्यालयों से इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रदान किये जाने वाले वरीयता अंकों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है।

(3) शासन / विश्वविद्यालय से आवश्यक निर्देश प्राप्त होने पर उपरोक्त नियमों में यथावश्यकता परिवर्तन किया जा सकता है।

4. विद्यार्थियों के लिए निर्देश

1. प्राचार्य द्वारा प्रवेश हेतु स्वीकृत प्रवेशार्थी सूचना पट पर निर्दिष्ट सूचना के अनुसार निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय कार्यालय / बैंक में पूरा शुल्क जमा करने के तुरन्त बाद संबंधित विभाग से सम्पर्क करें।

2. प्रत्येक विषय में समय–सारणी (Time Table) के अनुसार व्याख्यान / सेमिनार / ट्यूटोरियल / प्रायोगिक कक्षाएं आरंभ होती है। अतः अपनी कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहें, जिससे 75% से कम उपस्थिति न हो।

3. प्रत्येक विद्यार्थी महाविद्यालय कार्यालय तथा विभागों के सूचना पट पर प्रदर्शित सूचनाओं को देखता रहे। महाविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों / परिनियमों का पालन उनके लिये अनिवार्य है।

4. महाविद्यालय परिसर में मोबाइल लाना वर्जित है। यदि कोई छात्र / छात्रा मोबाइल परिसर में लाता है तो साइलेंट मोड में रखें। अन्यथा उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।

5. विश्वविद्यालय के नियमानुसार महाविद्यालय के प्रत्येक विभाग द्वारा आन्तरिक परीक्षाएँ आयोजित की जाती हैं जिसके प्राप्त अंक मुख्य परीक्षा के अंको के साथ जोड़े जाते हैं। विद्यार्थियों को अपने विषय की आंतरिक परीक्षा देना अनिवार्य है यदि महाविद्यालय द्वारा नियत तिथि पर विद्यार्थी परीक्षा नहीं देता है तो इसकी पूर्ण उत्तरदायित्व विद्यार्थी का होगा। नियत तिथि के बाद कोई आंतरिक परीक्षा आयोजित नहीं की जायेगी। विशेष परिस्थितियों में समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

6. प्रत्येक संस्थागत विद्यार्थी को महाविद्यालय में परिचय–पत्र हमेशा अपने साथ रखना अनिवार्य है। बिना परिचय पत्र के महाविद्यालय में प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा।

7. प्रवेश लेने के उपरान्त 15 दिन के अंदर ही विषय अथवा संकाय परिवर्तन करने की अनुमति होगी।

8. महाविद्यालय के छात्र / छात्राएँ ऑनलाइन परीक्षा फार्म भरने के उपरान्त हार्ड कॉपी जमा करने से पहले संबंधित विषय प्राध्यापक से अपनी हार्ड कॉपी प्रमाणित करा लें।

नोट–

1. वार्षिक शुल्क का कक्षावार विवरण आगे तालिका में दिया गया है।

2. शासन / विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर प्राप्त निर्देशानुसार उपर्युक्त वर्णित शुल्क मदों में यथावश्यकता संशोधन किया जायेगा।

3. जिन विद्यार्थियों को शुल्क मुक्ति की सुविधा स्वीकृत की जायेगी उन्हें केवल शिक्षण शुल्क की धनराशि नियमानुसार वापस कर दी जायेगी।

4. प्रतिभूति धनराशि महाविद्यालय से स्थानान्तरण प्रमाणपत्र एवं चरित्र प्रमाणपत्र निकलवाने पर ही देय होगी तथा यह सुविधा महाविद्यालय छोड़ने के बाद एक वर्ष तक ही रहेगी।

5. बी.एड. के विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय एवं शासन द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त स्काउट प्रमाणपत्र शुल्क भी देय होगा।

6. परिचय पत्र एवं शुल्क रसीद के द्वितीय प्रति के लिए 50 रु. देय होगा।

7. प्रवेश फार्म पर मांगी गई सभी वांछित सूचनाएं पूर्ण रूप से भरकर तथा अभिभावक के यथास्थान हस्ताक्षर कराकर सभी संलग्नकों सहित जमा करेंगे या प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होंगे।

शुल्क विवरण

क्रमांक	विवरण	स्नातक स्तर	स्नातकोत्तर स्तर
1	प्रवेश शुल्क	3.00	6.00
2	शिक्षण शुल्क	0.00	180.00
3	प्रयोगशाला शुल्क	240.00	240.00
4	मँहगाई शुल्क	240.00	240.00
5	विकास शुल्क	20.00	20.00
6	पुस्तकालय शुल्क	3.00	10.00
7	पंखा शुल्क	5.00	5.00
8	क्रीड़ा शुल्क	360.00	360.00
9	सांस्कृतिक परिषद् शुल्क	50.00	50.00
10	विभागीय परिषद् शुल्क	50.00	50.00
11	रोवर्स रेंजर्स शुल्क	60.00	60.00
12	पत्रिका शुल्क	50.00	50.00
13	छात्रसंघ शुल्क	50.00	50.00
14	वाचनालय शुल्क	30.00	30.00
15	परिचय पत्र शुल्क	25.00	25.00
16	निर्धन छात्र निधि	10.00	10.00
17	प्रांगण विकास शुल्क	20.00	20.00
18	कैरियर काउंसिलिंग सेल निधि	30.00	30.00
19	जनरेटर शुल्क	50.00	50.00
20	कंप्यूटर शुल्क	70.00	70.00
21	प्रयोगशाला सामग्री शुल्क	100.00 प्रति विषय	100.00
22	प्रसाधन शुल्क	50.00	50.00
23	विविध शुल्क	100.00	100.00
24	महाविद्यालय दिवस शुल्क	20.00	20.00
25	विद्युत शुल्क	60.00	60.00
26	पी.टी.ए. शुल्क	30.00	30.00
27	नामांकन शुल्क	100.00	100.00
28	परीक्षा शुल्क प्रति वर्ष/सेमेस्टर	विश्वविद्यालय नियमानुसार	

विशेष– उक्त वर्णित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का शुल्क महाविद्यालय द्वारा नहीं लिया जाता है। अन्यथा की स्थिति में महाविद्यालय के सूचना पट पर प्राचार्य के आदेश से सूचना प्रकाशित की जायेगी। विद्यार्थी किसी भी प्रकार का शुल्क बिना शुल्क रसीद प्राप्त किये जमा नहीं करेंगे।

महाविद्यालय परिवार

संरक्षक		प्रो. लवनी आर. राजवंशी	प्राचार्य
		कला संकाय	
1.	अंग्रेजी विभाग	1. श्रीमती कृतिका क्षेत्री	असिस्टेंट प्रोफेसर (विभाग प्रभारी)
		2. डॉ. कुसुमलता	असिस्टेंट प्रोफेसर
2.	अर्थशास्त्र विभाग	1. डॉ. रेखा यादव	गेस्ट फैकल्टी (विभाग प्रभारी)
		2. डॉ. नेहा शर्मा	गेस्ट फैकल्टी
3.	इतिहास विभाग	1. श्री अभिषेक कुकरेती	असिस्टेंट प्रोफेसर (विभाग प्रभारी)
4.	भूगोल विभाग	1. डॉ. अर्चना नौटियाल	असिस्टेंट प्रोफेसर (विभाग प्रभारी)
		2. डॉ. भगवती प्रसाद	गेस्ट फैकल्टी
		3. श्री तारा सिंह	अनुसेवक
5.	राजनीति विज्ञान विभाग	1. श्री अजय	असिस्टेंट प्रोफेसर (विभाग प्रभारी)
		2. श्रीमती वंदना ध्यानी बहुगुणा	असिस्टेंट प्रोफेसर
6.	संस्कृत विभाग	1. डॉ. शिप्रा	असिस्टेंट प्रोफेसर (विभाग प्रभारी)
7.	हिन्दी विभाग	1. श्री उमेश ध्यानी	असिस्टेंट प्रोफेसर (विभाग प्रभारी)
		2. कु. नीना शर्मा	गेस्ट फैकल्टी
		वाणिज्य संकाय	
1.	वाणिज्य	1. डॉ. पंकज कुमार	असिस्टेंट प्रोफेसर (विभाग प्रभारी)
		2. श्री वीरेंद्र कुमार सैनी	असिस्टेंट प्रोफेसर
		3. श्री वरुण कुमार	असिस्टेंट प्रोफेसर
		विज्ञान–संकाय	
1.	गणित विभाग	1. डॉ. दीपचन्द्र मिश्रा	असिस्टेंट प्रोफेसर (विभाग प्रभारी)
		2. डॉ. विनीता देवी	असिस्टेंट प्रोफेसर
2.	जन्तु विज्ञान विभाग	1. डॉ. संजय मदान	असिस्टेंट प्रोफेसर (विभाग प्रभारी)
		2. श्रीमती श्रद्धा भारती	असिस्टेंट प्रोफेसर
		3. कु. शेफाली रावत	गेस्ट फैकल्टी
		4. कु. रंजना	प्रयोगशाला सहायक (संविदा)
		5. श्री अनिल सिंह	अनुसेवक (संविदा)
3.	भू विज्ञान विभाग	1. श्रीमती गुंजन आर्या	असिस्टेंट प्रोफेसर (विभाग प्रभारी)
		2. रिक्त	असिस्टेंट प्रोफेसर
		3. श्रीमती दीप्ति देवी	अनुसेवक
4.	भौतिक विज्ञान विभाग	1. डॉ. कमल कुमार	असिस्टेंट प्रोफेसर (विभाग प्रभारी)
		2. डॉ. शुभम काला	गेस्ट फैकल्टी
		3. श्री जमन सिंह	अनुसेवक
5.	रसायन विज्ञान विभाग	1. प्रो. शैलेन्द्र प्रकाश	प्रोफेसर (विभाग प्रभारी)
		2. डॉ. मोहम्मद शहजाद	असिस्टेंट प्रोफेसर

	3. डॉ. प्रीति रावत	असिस्टेंट प्रोफेसर
	4. श्री बलवन्त सिंह नेगी	प्रयोगशाला सहायक (संविदा)
	5. श्री अंकुर	अनुसेवक (संविदा)
6. वनस्पति विज्ञान विभाग	1. डॉ. राकेश कुमार द्विवेदी	असिस्टेंट प्रोफेसर (विभाग प्रभारी)
	2. डॉ. दिवाकर चंद्र बेबनी	असिस्टेंट प्रोफेसर
	3 डॉ. पवनिका चन्दोला	गेस्ट फैकल्टी
	4. रिक्त	असिस्टेंट प्रोफेसर
	5. श्री बालेन्दु कृष्ण नेगी	प्रयोगशाला सहायक (संविदा)
	6. श्री धर्मेन्द्र कुमार	अनुसेवक (संविदा)

शिक्षणेतर कर्मी

1. कार्यालय	1. श्री दिलवर सिंह नेगी	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
	2. श्री आशीष राणा	प्रधान सहायक
	3. श्री नवीन सिंह मर्तोलिया	आशुलिपिक
	4. श्री विनोद सिंह	लिपिक (संविदा)
	5. रिक्त	दफ्तरी
	6. श्री बृजमोहन सिंह	अनुसेवक
	7. श्री प्रदीप सिंह	अर्दली
	8. श्री सोनू वाल्मीकि	स्वच्छक
	9. श्री रूपसिंह नेगी	अनुसेवक (संविदा)
	10. श्री अजयपाल सिंह रावत	अनुसेवक (संविदा)
2. पुस्तकालय	1. रिक्त	पुस्तकालयाध्यक्ष
	2. रिक्त	बुक लिफ्टर
	3. श्री पंकज कुमार मैंदोला	अनुसेवक
	4. श्री साजन सिंह	अनुसेवक (संविदा)

शिक्षक–शिक्षा संकाय (स्ववित्तपोषित बी.एड.)

1. संकाय सदस्य	1. डॉ. रामकृपाल सिंह	विभागाध्यक्ष (संविदा)
	2. श्री विनीत सिंह	प्राध्यापक (संविदा)
	3. श्री प्रदीप कुमार	प्राध्यापक (संविदा)
	4. श्री विमल रावत	शारीरिक शिक्षक (संविदा)
	5. श्रीमती सपना रौतेला	पुस्तकालयाध्यक्ष (संविदा)
	6. श्री अंजय सिंह रावत	प्रयोगशाला सहायक (संविदा)
2. शिक्षणेतर कर्मी (बी.एड.)	1. श्री कुलदीप सिंह बिष्ट	लेखाकार (संविदा)
	2. श्री प्रकाश असवाल	कार्यालय सहायक (संविदा)
	3. मनोज कुमार	परिचारक (संविदा)
	4. श्री मुकेश चन्द्र	परिचारक (संविदा)

एंटी रैगिंग संबंधी सूचना

विश्व विद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार प्रत्येक छात्र/छात्रा तथा उसके अभिभावक द्वारा एंटी रैगिंग के शपथ–पत्र ऑन लाइन ही भरे जायेंगे। ऑनलाइन भरने हेतु निम्नांकित वेबसाइट का प्रयोग करें–

www.antiragging.in या www.amanmovement.org

ऑनलाइन शपथ–पत्र भरने के उपरान्त उनकी हार्ड कॉपी महाविद्यालय में जमा करना आवश्यक है। बिना हार्डकॉपी जमा किये महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

प्रवेश समिति पंजिका क्रमांक ☐ Form No. ☐

भक्त दर्शन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जयहरीखाल (गढ़वाल) उत्तराखण्ड

संकाय _____

कक्षा व भाग _____

प्रवेश आवेदन–पत्र

सत्र 20 – 20

नवीनतम पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटोग्राफ चिपकायें

(कृपया फोटोग्राफ पिन या स्टेपल न करें।)

फार्म भरने से पहले प्रवेशार्थी निर्देश अवश्य पढ़ लें

1. (अ) प्रवेशार्थी का नाम (हिन्दी में) _____
(हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार)
(ब) In English Capital Letters _____
2. आधार संख्या _____
3. ब) पिता का नाम _____ ब) माता का नाम _____
4. स्थानीय संरक्षक का नाम, पता व मो. नं. _____
5. आवेदित विषय 1. _____ 2. _____
3. _____ 4. _____
6. जन्म तिथि ...../...../.....(शब्दों में)_____)
(हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार)
7. लिंग (पुरुष/महिला) _____
8. स्थाई पता _____ पिन कोड ☐☐☐☐☐☐
9. वर्तमान पता _____ पिन कोड ☐☐☐☐☐☐
10. संपर्क (अ) छात्र का मोबाइल नं. ☐ (ब) छात्र का व्हाट्सएप नं. ☐
(स) छात्र की ई.मेल आई.डी ☐ (द) अभिभावक का मोबाइल नं. ☐
11. राष्ट्रीयता _____
12. वर्ग (SC/ST/OBC/GEN/EWS) _____ उप वर्ग (महिला/पूर्व सैनिक/स्व.सं.से.आ./दिव्यांग आदि) _____
13. अ) उत्तराखण्ड में निवास की अवधि (जन्म से/अवधि) _____ ब) गृह जनपद _____
14. अन्तिम उत्तीर्ण परीक्षा का नाम _____ शिक्षण संस्था का नाम _____
विश्वविद्यालय का नाम _____ नामांकन संख्या _____
15. शैक्षिक विवरण (अंकपत्रों/प्रमाणपत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियाँ संलग्न करें)

परीक्षा	वर्ष	विषय	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत	श्रेणी	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम
हाईस्कूल							
इण्टरमीडिएट							
स्नातक I/II/III							
स्नातकोत्तर I/II/III/ IV से							
बी.एड.							
अन्य							

(यदि प्राप्तांक ग्रेड में हैं तो उन्हें प्रतिशत में बदल कर अंकित करें।)

दिनांक–

प्रवेशार्थी के हस्ताक्षर

प्रवेश आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद Form No. ☐

_____ (प्रवेशार्थी का नाम) सुपुत्र श्री _____ से कक्षा _____

में विषय 1._____ 2_____ 3._____ के साथ प्रवेश

हेतु आवेदन प्राप्त किया। इसमें संलग्नकों की कुल संख्या_____ है।

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता

16. शिक्षणेतर क्रियाकलापों का विवरण (उचित प्रमाण–पत्र लगाएँ) _____

(खेलकूद / एन.एस.एस. / एन.सी.सी. / स्काउट / रोवर्स–रेंजर्स)

17. क्या आपको कभी किसी शिक्षण संस्था से निष्कासित किया गया है ? (यदि हाँ तो विवरण दें) _____

18. क्या आपके विरुद्ध परीक्षा में अनुचित साधन के प्रयोग का मामला विचाराधीन है ? (यदि हाँ तो विवरण दें) _____

19. क्या आप किसी सेवा में कार्यरत हैं ? (यदि हाँ तो विवरण दें) _____

20. छात्र / छात्रा का– अ) बचत खाता संख्या _____ ब) बैंक का नाम _____

स) शाखा _____ द) आई.एफ.एस. कोड _____

21. कोविड टीकारण की स्थिति– हुआ है / नहीं हुआ है ..... हाँ की स्थिति में 1 डोज / 2 डोज .....

प्रवेश के समय विद्यार्थी द्वारा घोषणा

1. में घोषणा करता / करती हूँ कि मैंने प्रवेश विवरणिका के समस्त नियमों का अध्ययन कर लिया है तथा वे उनका पालन करूँगा / करूँगी। मैं अपनी कक्षा में 75% उपस्थिति पूरा करूँगा / करूँगी। कम उपस्थिति की दशा में मुझे यदि विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नही है।
2. मैं घोषणा करता / करती हूँ कि मैं रैगिंग सम्बन्धित किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होऊँगा / होऊँगी तथा रैगिंग सम्बन्धी दण्डात्मक कार्रवाई की मुझे जानकारी है।

पिता / माता / संरक्षक के हस्ताक्षर
नाम .....
दिनांक .....

प्रवेशार्थी के हस्ताक्षर

संलग्नकों का विवरण

(अ) निम्नलिखित की स्व–प्रमाणित छायाप्रतियाँ –
(जो संलग्न किया हो उसके सामने सही का निशान लगाएँ)

1. हाईस्कूल प्रमाणपत्र	☐	2. हाईस्कूल अंकपत्र	☐	3. इण्टरमीडिएट प्रमाणपत्र	☐
4. इण्टरमीडिएट अंकपत्र	☐	5. स्नातक उपाधि	☐	6. स्नातक – I अंकपत्र	☐
7. स्नातक II अंकपत्र	☐	8. स्नातक– III अंकपत्र	☐	9. अतिरिक्त अंकों हेतु प्रमाणपत्र	☐
10. आरक्षित श्रेणी हेतु जाति प्रमाणपत्र	☐	11. स्थानान्तरण प्रमाणपत्र (मूल रूप में)	☐	12. चरित्र प्रमाणपत्र (मूल रूप में)	☐
13. आधार कार्ड	☐	14. बैंक पासबुक	☐	15. एंटी रैगिंग शपथपत्र	☐
16. स्नातकोतर प्रथम / द्वितीय / तृतीय सेमेस्टर अंकपत्र ☐				17. E.W.S. प्रमाणपत्र	☐

(ब) बी.एड. प्रवेशार्थी निम्नलिखित की स्व–प्रमाणित छायाप्रतियाँ भी लगाएँ–

1. प्रवेश परीक्षा की अंकतालिका	☐	2. विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित पत्र	☐	3. प्रवजन प्रमाणपत्र (मूल प्रति)	☐
4. शारीरिक स्वस्थता प्रमाणपत्र	☐	5. प्रवेश हेतु शपथ पत्र	☐	6. अपना पता लिखे 02 लिफाफे	☐
7. राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत नवीनतम चरित्र प्रमाणपत्र ☐				8. निर्धारित शुल्क का बैंक ड्राफ्ट	☐

नोटः आवेदन पत्र एवं परिचय पत्र पर सभी फोटो एक जैसे होने चाहिए।

प्रवेश संस्तुति

कक्षा _____ में प्रवेश संस्तुत। प्रवेश स्वीकृत / अस्वीकृत

प्रवेशार्थी के हस्ताक्षर (साक्षात्कार के समय) **ह. संयोजक प्रवेश–समिति / विभागाध्यक्ष** **ह. प्राचार्य**

कार्यालय प्रयोग हेतु

समस्त देय धनराशि रु..... (रु. शब्दों में .....) रसीद सं. .... दिनांक ..... द्वारा प्राप्त की तथा महाविद्यालय प्रवेश पंजिका में क्रमांक ..... पर प्रविष्टि की।

ह. शुल्क जमाकर्ता

प्रवेश समिति पंजिका क्रमांक

बैंक प्रति

भक्त दर्शन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
जयहरी खाल (गढ़वाल)

क्रमांक .....

उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक
गुमखाल (पौड़ी गढ़वाल)
बचत खाता संख्या 76002405230
सत्र : 20 – 20

शुल्क रसीद

नाम .....

पिता का नाम .....

जन्मतिथि .....

कक्षा .....

मोबाइल नं .....

विषय – 1. .....
2. .....
3. .....
4. .....

शुल्क रुपये .....

शुल्क (शब्दों में) रुपये .....

.....

शुल्क दिनांक ..... तक जमा करें।

हस्ताक्षर – संयोजक/सदस्य/शुल्क लिपिक

प्रवेश समिति पंजिका क्रमांक

महाविद्यालय प्रति

भक्त दर्शन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
जयहरी खाल (गढ़वाल)

क्रमांक .....

उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक
गुमखाल (पौड़ी गढ़वाल)
बचत खाता संख्या 76002405230
सत्र : 20 – 20

शुल्क रसीद

नाम .....

पिता का नाम .....

जन्मतिथि .....

कक्षा .....

मोबाइल नं .....

विषय – 1. .....
2. .....
3. .....
4. .....

शुल्क रुपये .....

शुल्क (शब्दों में) रुपये .....

.....

शुल्क दिनांक ..... तक जमा करें।

हस्ताक्षर – संयोजक/सदस्य/शुल्क लिपिक

प्रवेश समिति पंजिका क्रमांक

छात्र प्रति

भक्त दर्शन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
जयहरी खाल (गढ़वाल)

क्रमांक .....

उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक
गुमखाल (पौड़ी गढ़वाल)
बचत खाता संख्या 76002405230
सत्र : 20 – 20

शुल्क रसीद

नाम .....

पिता का नाम .....

जन्मतिथि .....

कक्षा .....

मोबाइल नं .....

विषय – 1. .....
2. .....
3. .....
4. .....

शुल्क रुपये .....

शुल्क (शब्दों में) रुपये .....

.....

शुल्क दिनांक ..... तक जमा करें।

हस्ताक्षर – संयोजक/सदस्य/शुल्क लिपिक

प्रवेश समिति पंजिका क्रमांक–

Form No.

भक्त दर्शन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जयहरीखाल (गढ़वाल) उत्तराखण्ड

मुख्यशास्ता संदर्भ पत्र

सत्र : 20 –20

कक्षा ..... महावद्यालय प्रवेश सं. .....

विश्वविद्यालय नामांकन सं. .....

विषय 1. ..... 2. ..... 3. .....

विद्यार्थी का नाम (हिन्दी में) .....

(हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार)
In English Capital Letters

यहां पर पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो चिपकायें

आधार संख्या .....

पिता का नाम .....

माता का नाम .....

स्थायी पता .....

.....मो. अभिभावक .....

स्थानीय पता .....

..... मो. छात्र .....

व्हाट्स एप नं..... ई–मेल आई.डी. .....

माता/पिता/संरक्षक के हस्ताक्षर ..... विद्यार्थी के हस्ताक्षर .....

मुख्य शास्ता प्राचार्य संयोजक

.....

प्रवेश समिति पंजिका क्रमांक–

Form No.

भक्त दर्शन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जयहरीखाल (गढ़वाल) उत्तराखण्ड

पुस्तकालय संदर्भ पत्र

सत्र : 20 –20

कक्षा ..... महावद्यालय प्रवेश सं. .....

विश्वविद्यालय नामांकन सं. .....

विषय 1. ..... 2. ..... 3. .....

विद्यार्थी का नाम (हिन्दी में) .....

(हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार)
In English Capital Letters

यहां पर पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो चिपकायें

आधार संख्या .....

पिता का नाम .....

माता का नाम .....

स्थायी पता .....

.....मो. अभिभावक .....

स्थानीय पता .....

..... मो. छात्र .....

व्हाट्स एप नं..... ई–मेल आई.डी. .....

माता/पिता/संरक्षक के हस्ताक्षर ..... विद्यार्थी के हस्ताक्षर .....

पुस्तकालयाध्यक्ष प्राचार्य संयोजक

भक्त दर्शन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जयहरीखाल (गढ़वाल)
शैक्षिक पंचांग : 2022–23

1. प्रवेश आवेदन पत्र विक्रय प्रारम्भ	– 01 जुलाई, 2022
2. शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने की तिथि	– 06 जुलाई, 2022
3. प्रवेश आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि	– 25 जुलाई, 2022
4. शिक्षण कार्य प्रारम्भ	– 01 अगस्त, 2022
5. प्रवेशार्थियों द्वारा शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि	– 10 अगस्त, 2022
6. प्रवेश की अन्तिम तिथि	– 31 अगस्त, 2022
7. छात्र संघ गठन	– विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार
8. विभिन्न परिषदों / समितियों का गठन (छात्र)	– 31 अक्टूबर, 2022
9. वार्षिक क्रीड़ा समारोह	– नवंबर 2022, अंतिम सप्ताह
10. एन.एस.एस. वार्षिक शिविर	– दिसंबर, 2022 अंतिम सप्ताह
11. विषम सेमेस्टर परीक्षा	– विश्वविद्यालय द्वारा घोषित तिथि के अनुसार
12. शीतावकाश	– जनवरी 2023, प्रथम सप्ताह से
13. वार्षिक समारोह	– मार्च / अप्रैल, 2023
14. प्रायोगिक परीक्षा	– विश्वविद्यालय द्वारा घोषित तिथि के अनुसार
15. सम सेमेस्टर परीक्षा	– विश्वविद्यालय द्वारा घोषित तिथि के अनुसार
16. ग्रीष्मावकाश	– जून 2023, द्वितीय सप्ताह से

नोट : प्रथम वर्ष के अतिरिक्त अन्य कक्षाओं में प्रवेश की अंतिम तिथि विश्वविद्यालय द्वारा सम्बंधित की पूर्व कक्षा का परिणाम घोषित होने के 15 दिन बाद तक।

नोट– शासन के निर्देशानुसार महाविद्यालय में शिक्षण सत्र : 2017–2018 से ड्रेस कोड अनिवार्य रूप से लागू किया गया है, जो समस्त छात्र/छात्राओं हेतु निम्नवत् होगा–

छात्र वर्ग– नेवी ब्ल्यू पैंट और आसमानी कमीज।

छात्रा वर्ग– नेवी ब्ल्यू कमीज और सफेद सलवार एवं दुपट्टा।

भक्त दर्शन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जयहरीखाल (गढ़वाल)

वार्षिकोत्सव

मुख्यमंत्री टैबलेट वितरण योजना

एन.एस.एस.

पूर्व छात्र समागम

प्रयोगशाला

कक्षा कक्ष

एन.सी.सी.

क्रीड़ा समारोह